इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 9 अंक सं. :1 अगस्त, 2016 पृष्ठों की सं 13

दर्शन (**विज़न**)**:** "बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक विकसित और शिक्षित करना।

ध्येय (**मिशन**) **:** "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।"

इस अंक में

मुख्य घटनाएं ----------2
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------2
बैंकिंग ागत की घटनाएं----------3
विनियामकों के कथन ---------- 4
बीमा ----------5
अर्थव्यवस्था ----------5
नयी नियुक्तिया ---------- 5
उत्पाद एवं गठ ाोड ---------- 6
विदेशी मुद्रा ----------6
शब्दावली ---------- ---------- ------ 7
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी ाानकारी ----------8
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ---------- 8
संस्थान समा ाार ---------- 8
बाज़ार की खबरें ---------- 10

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सू ाना / समा ाार की मदें सार्व ानिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो ुकी / ुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए ाा रही / रहे हैं। उक्त सू ाना / समा ाार की मदों में व्यक्त किए गए वि ाार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समा ाार मदों / घटनाओं अथवा ि ास किसी भी प्रकार की सू ाना की स ााई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक स्वर्ण बॉण्डों की ाौथी श्रृंखला ाारी करेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 अगस्त, 2016 को सॉवरेन स्वर्ण बॉण्डों की ाौथी श्रृंखला ाारी की है। यह सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड यो ाना के तहत ाारी ऐसा पहला स्वर्ण बॉण्ड है ि ासे नेशनल स्टॉक एक्स ें ा ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्स ें ा दोनों पर ही खरीदा ाा सकता है। इन बॉण्डों के लिए आवेदन 18-22 ुलाई, 2016 के बी ा स्वीकार किए गए।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

ालनिधि मानकों पर बासेल III की रूपरेखा

बैंकों को उनके ालनिधि व्याप्ति अनुपात (LCR) की गणना करने के उद्देश्य से अनिवार्य सांविधिक ालनिधि अनुपात (SLR) आवश्यकता के भीतर ालनिधि व्याप्ति अनुपात के लिए ालनिधि प्राप्त करने की सुविधा के अधीन उनके द्वारा धारित सरकारी प्रतिभूतियों की गणना करने के लिए उनकी निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTL) के 1% तक उ ा गुणवत्ता वाली अनिरुद्ध (liquid) आस्तियों (HQLA) के रूप में परिकलन करने की अनुमति होगी। इसलिए सांविधिक ालनिधि अनुपात से बैंकों को उपलब्ध होने वाली कम की हुई (carve-out)कुल राशि उनकी निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTL) की 11% होगी। इस उद्देश्य के लिए बैंकों को इसप्रकार की परिकलित सरकारी प्रतिभूतियों को अनिवार्य सांविधिक ालनिधि अनुपात आवश्यकता के भीतर ऐसी रकम पर मूल्यांकित करने का कार्य ाारी रखना ाहिए ाो उनके वर्तमान बाज़ार मूल्य से अधिक न हो।

वैयक्तिक निवेशकों की सरकारी प्रतिभूति बाज़ार तक पहुं ा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मानदंडों को सरल बनाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल सिक्योरिटी ा डिपॉ ाटरी लिमिटेड (NSDL) और सेन्ट्रल डिपॉ ाटरी सर्विसे ा (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) के डिमैट खाताधारकों को सरकारी प्रतिभूतियों में तयशुदा लेनदेन प्रणाली -आदेश मिलान (NDS-OM) प्लेटफार्म पर उनके उस सम्बन्धित डिपॉ ाटरी सहभागी (DP) बैंक के माध्यम से क्रय-विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है ाो सहायक सामान्य खाताबही (SGL) का खाता धारक हो और तयशुदा लेनदेन प्रणाली -आदेश मिलान तथा भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का प्रत्यक्ष सदस्य हो।

बैंकिंग ागत की घटनाएं

भारतीय रिज़र्व द्वारा बैंक अशोध्य ऋणों को रोकने हेतु बेहतर संपार्श्विक प्रबन्धन पर वि ाार

अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि बैंकिंग क्षेत्र (विशेष रूप से सार्व ानिक क्षेत्र के बैंकों) में दबावग्रस्त आस्तियों में उछाल ने इन बैंकों के संपार्श्विक प्रबन्धन ं ो में कुछेक कम ाोरियों को सामने ला दिया है। संपार्श्विकों पर एक सुदृ. केन्द्रीकृत डाटाबेस सहित सू ाना प्रौद्योगिकी-समर्थित एक एकीकृत संपार्श्विक प्रबन्धन ं ा बैंकों की न केवल संपार्श्विकों पर निरंतर आधार पर निगरानी रखने अपितु धोखाधड़ियों से पैदा होने वाले मामलों का समय पर पता लगाने में सहायता कर सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाह्य वाणि ियक उधार मानदंडों को सरल किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I वाले बैंकों को सम्बोधित अपनी अधिसू ाना आरबीआई / 2015-16/440 दिनांक 30 ाून, 2016 के तहत यह कहा है कि अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने तथा उसमें शीघ्रता लाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक में प्राप्त (समय-समय पर पुनर्निर्धारित की ााने वाली) एक निश्चित प्रारंभिक सीमा से अधिक के बाह्य वाणि ियक उधार (ECB) प्रस्तावों को अधिकारप्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया ााएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक इन मामलों में अंतिम निर्णय अधिकारप्राप्त समिति की सिफारिश को ध्यान में रख कर लेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक के ुानिंदा कार्यालय पुराने नोट स्वीकार करेंगे

भारतीय रिज़र्व बैंक 2005 से पहले वाले बैंक नोटों को 1 ुलाई, 2016 से केवल ुानिंदा शाखाओं में ही स्वीकार करेगा, क्योंकि पुरानी श्रृंखला वाले अधिसंख्य बैंकनोट वापस लिये ा ुके हैं। रिज़र्व बैंक ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 2005 से पहले वाले बैंकनोट वैध मुद्रा के रूप में ाारी रहेंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि मानक अंतरराष्ट्रीय प्रथा यह है कि एक ही समय पर कई एक श्रृंखलाओं वाले मुद्रा (करेंसी) नोटों को सं ालन में न रहने दिया ााए।

बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश : 20 गंदे नोटों तक की बदली मुफ्त करें

ग्राहक सेवा में सुधार लाने के एक प्रयास में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से अधिकतम 5,000 रुपये के मूल्य वाले 20 नगों तक के गंदे करेंसी नोटों को काउंटर पर प्रभार रहित /मुफ्त बदलने के लिए कहा है। कटे-फटे या अधूरे नोटों को बदलने की यह सुविधा अभिहित बैंक शाखाओं और गैर-ति ोरी वाली शाखाओं में भी उपलब्ध है। नोटों को थोक (ाहां यह संख्या प्रति दिन 20 नगों या मूल्य की दृष्टि से 5,000 रुपये से अधिक हो) में प्रस्तुत किए ाने पर बैंक बाद में ामा किए ाने वाले मूल्य के लिए पावती के समक्ष स्वीकार करेंगे।

फिन टेक और डि ाटल बैंकिंग का अध्ययन करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक का पैनल

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में वित्तीय प्रौद्योगिकी और डि ाटल बैंकिंग से सम्बन्धित विनियामक मुद्दों के संपूर्ण वर्णक्रम का अध्ययन करने के लिए एक अंतर-विनियामक कार्य दल का गठन किया है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप समिति (FCDC-SC) ने 26 अप्रैल, 2016 को आयोि ात अपनी बैठक में वित्तीय प्रौद्योगिकी के दानेदार पहलुओं और उनके निहितार्थों का पता लगाने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इसप्रकार के कार्य दल के गठन का निर्णय लिया था, ताकि विनियामक ं ो का पुनरीक्षण किया ा सके और उसे उपयुक्त रूप से पुनरभिमुख किया ा सके और द्रुत गति से विकसित हो रहे वित्तीय प्रौद्योगिकी परिदृश्य की गतिशीलताओं पर कार्रवाई की ा सके।

अब व्यक्तियों के लिए खज़ाना बिलों में गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाने की सुविधा

भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से व्यक्तियों को खज़ाना बिलों (T Bills) में गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाने की सुविधा प्रदान कर दी है। खुदरा निवेशकों के मामले में आबंटन भारत सरकार द्वारा यथा-निर्धारित विनिर्दिष्ट रकम के भीतर निर्गम की कुल आनुमानिक रकम के अधिकतम 5 प्रतिशत या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किसी अन्य प्रतिशत तक सीमित होगी। ये बिल न्यूनतम 10,000 रुपये और उसके गुण ों वाली रकम के लिए ारी किए ाएंगे।

विनियामकों के कथन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से आपदाग्रस्त किसानों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने को कहा

प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों के समक्ष उपस्थित कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को तदनुभूति के साथ कार्य करने और ऐसे मामलों में ाहां दावों की प्राप्ति की यथोि ात सुनिश्ि ातता हो, बीमे की रकम की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना ऋण पुनर्संर ाना करने और नये ऋण मं ूर करने पर वि ार करने की सलाह दी है।

बीमा

इर्डाई ने बीमाकर्ताओं को दावों के निपटान में देरी न करने के निदेश दिए

ीवन बीमाकर्ता नि:शुल्क देखभाल (free look) निरस्तीकरण सहित पॉलिसी का भुगतान करते समय सामान्य क्रम में वाउ ारों के अग्रिम उन्मो ान की मांग कर सकते हैं। पॉलिसीधारक / दावेदार को भे ो ाने वाले उन्मो ान वाउ ार में कटौतीं, यदि कोई हो और अन्य प्रासंगिक विवरणों सहित भिन्न-भिन्न शीर्षों के तहत पॉलिसी संख्या और भुगतान के स्वरूप एवं दावे की रकम का आवश्यक रूप से समावेश होना ाहिए। ाहां पॉलिसीधारक / दावेदार अग्रिम उन्मो ान वाउ ार को निष्पादित करने अथवा रकम स्वीकार करने के प्रति अनि छा व्यक्त करे या उदासीनता बरते अथवा किसी कारण से आपत्ति करे, वहां ीवन बीमाकर्ता को उन्मो ान वाउ ार पर ोर नहीं देना ाहिए अथवा उसे पॉलिसी के भुगतान की एक शर्त नहीं बनाया ाना ाहिए। इसप्रकार की स्थिति में ीवन बीमाकर्ता को इस कारण के आधार पर भुगतान को रोकना या विलंबित नहीं करना ाहिए अपितु अपनी संविदात्मक बाध्यताओं का निर्वाह करने के लिए पॉलिसी का भुगतान कर देना ाहिए। ीवन बीमाकर्ता को भुगतान करने के प्रमाण को परिरक्षित करना ाहिए।

अर्थव्यवस्था

कम ोर वैश्विक प्रत्याशाओं के बाव ूद एशियाई वृद्धि स्थिर : भारत सही राह पर

एशियाई विकास बैंक (ADB) के अनुसार 2016 और 2017 में वृद्धि में दक्षिण एशिया और विशेष रूप से भारत ि ासके सुदृ . रूप से विस्तार का क्रम ारी है, अग्रणी रहे। दक्षिण एशिया के सबसे अधिक तीव्र गति से वृद्धि द र्ा करने वाले उप-क्षेत्र बनने की आशा है, ि ासमें भारत, ि ासकी अर्थव्यवस्था ने ीवंत उपभोक्ता ख र्ों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उछाल से समर्थन पा कर वैश्विक प्रतिवातों को संकु ि ात कर दिया है और ाो एशियाई विकास बैंक के मा र्ा वित्तीय (वर्ष से मा र्ा 2017) के 7.4% के पूर्वानुमानित वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर है, सबसे आगे है।

नई नियुक्तियां

नाम	पदनाम / संगठन
श्री सं ीव मिश्र	अतिरिक्त निदेशक और गैर-कार्यपालक (अंशकालिक) अध्यक्ष, ऐक्सिस बैंक
श्री एन. एस. विश्वनाथन	उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री सुदर्शन सेन	कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री पुनीतकुमार आर. शेट्टी	प्रबन्ध निदेशक, अभ्युदय सहकारी बैंक लि.

उत्पाद एवं गठ ोड़

संगठन	िस संगठन के साथ गठ ोड़ व्यवस्था हुई	उद्देश्य
नैनीताल बैंक	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस	बीमा उत्पादों के विपणन हतु।
ऐसक्सिस बैंक आईसीआईसीआई बैंक	स्विफ्ट	उसके वैश्विक भुगतानों नवोन्मेश पहलकदमियों हेतु।
भारतीय स्टेट बैंक	रिलाएंस इंडस्ट्री ा लि.	एक भुगतान बैंक की स्थापना हेतु।
	विश्व बैंक	देश में ग्रिड से ुड़ी छत पर सौर ऊ ार्ा कार्यक्रम में सहायता करना।
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बंबई	वित्तीय क्षेत्र में स्टार्ट -अपों द्वारा नवोन्मेष को ब ावा देना।
	फ्लिपकार्ट	बैंक के उपभोक्ताओं को खरीदियों पर पूर्वानुमोदित समीकृत मासिक किस्त की सुविधा प्रदान करना।
	आईआरसीटीसी एण्ड आदित्य बिड़ला ग्रुप	मोबाइल भुगतानों हेतु।
ऐक्सिस बैंक	विस्तारा	सह-ब्राण्ड वाले संपर्क रहित क्रेडिट कार्डों की शुरुआत करना।

विदेशी मुद्रा

अगस्त, 2016 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) ामाराशियों की न्यूनतम दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.86600	0.94050	1.00400	1.06700	1.12800
ाीबीपी	0.36020	0.4895	0.4989	0.5299	0.5720
यूरो	-0.17000	-0.190	-0.178	-0.155	-0.102
ापानी येन	-0.03500	-0.071	-0.086	-0.093	-0.089
कनाडाई डालर	0.95000	0.966	0.975	0.994	1.023
आस्ट्रेलियाई डालर	1.80000	1.758	1.755	1.920	1.950
स्विस फ्रैंक	-0.68250	-0.718	-0.719	-0.693	-0.660
डैनिश क्रोन	-0.00310	-0.0125	0.0422	0.0895	0.1660
न्यू ीलैंड डालर	2.11960	2.080	2. 095	2.133	2.184
स्वीडिश क्रोन	-0.54600	-0.451	-0.335	-0.195	-0.048
सिंगापुर डालर	1.37000	1.500	1.610	1.690	1.755

हांगकांग डालर	0.81000	0.900	1.020	1.090	1.170
म्यामार	3.38000	3.350	3.410	3.460	3.510

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	**22 ुलाई, 2016 के दिन**	**22 ुलाई, 2016 के दिन**
	बिलियन् रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
	1	2
1.1 कुल प्रारक्षित निधियां	24, 234,1	3,62, 687.1
1.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	22, 584.1	3,38 ,257.2
1.3 सोना	1, 391.3	20, 576.4
1.4 विशेष आहरण अधिकार	99.1	1, 476.3
1.5 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	159.6	2, 377.2

शब्दावली

खज़ाना बिल (T Bills)

खज़ाना बिल भारत सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से ारी एक अल्पावधिक मुद्रा बाज़ार लिखत होता है। भारत सरकार खज़ाना बिल 14 दिनों, 28 दिनों, 91 दिनों, 182 दिनों और 364 दिनों की अवधियों के लिए ारी करती है। खज़ाना बिल ारी किए ाने का कैलेण्डर प्रत्येक अर्ध-वर्ष के लिए घोषित किया ाता है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी ानकारी

पुनर्सर ना

पुनर्स ित खाता वह होता है िसमें बैंक उधारकर्ता को ऐसी रियायतें मं ूर करता है िन पर बैंक अन्यथा वि ार नहीं करता। पुनर्सर ना आम तौर पर उन अग्रिमों / प्रतिभूतियों की शर्तों में आशोधन से सम्बन्धित

होती है ि ानमें सामान्यतया अन्य ीज़ों के साथ ही ुकौती अवधि / पुनर्देय रकम/ किस्तों की रकम और ब्या ा दर में परिवर्तन का समावेश होता है। यह किसी ऐसी अन्यथा व्यवहार्य इकाई को पोषित करने की एक व्यवस्था होती है ाो वित्तीय दृष्टि से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो गई है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	तिथिं	स्थल
1	ऋण मूल्यांकन पर कार्यक्रम	5-9-16- 9-9-16	कोलकाता
2	सहकारी बैंकों के लिए खज़ाना प्रबन्धन पर कार्यक्रम	7-9-16 -9-9-16	मुंबई
3	वसूली प्रबन्धन	7-9-16-9-9-16	मुंबई
4	अनुपालन अधिकारियों के लिए कार्यक्रम	15-9-16 - 17-9-16	मुंबई

संस्थान समा ार

ऋण मूल्यांकन प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान ने 26 से 30 ुलाई, 2016 के दौरान टी ेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड के अधिकारियों के लिए कम्पनी के लिए एक आंतरिक ऋण मूल्यांकन प्रशिक्षण कार्यक्रम का सं ाालन किया। बैंक के नियंत्रक कार्यालयों और शाखाओं से तीस अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

ेएआईआईबी / डीबीएण्डएफ और सीएआईआईबी नवम्बर / दिसम्बर 2016 के लिए 90 घण्टों वाली तैयारी की कक्षाएं - उत्तरी अं ाल, पूर्वी अं ाल एवं दक्षिणी अं ाल के व्यावसायिक विकास केन्द्र

उत्तरी अं ाल, पूर्वी अं ाल और दक्षिणी अं ाल के व्यावसायिक विकास केन्द्र ेएआईआईबी / डीबीएण्डएफ और सीएआईआईबी नवम्बर / दिसम्बर 2016 की परीक्षाओं के लिए 90 घण्टों वाली तैयारी की कक्षाओं का सं ाालन करेंगे। अधिक ाानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

बैंक क्वेस्ट और आईआईबीएफ विज़न के लिए अभिदानों का ऑनलाइन मोड में स्वीकार किया ाना

संस्थान ने 1 ुलाई, 2016 से बैंक क्वेस्ट और आईआईबीएफ विज़न के लिए अभिदान को एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से ऑनलाइन मोड में संग्रहीत करने और मांग ड्राफ्ट के माध्यम से अभिदान स्वीकार करने की प्रथा बंद करने का निर्णय लिया है। यह अभिदान केवल एक वर्ष के लिए स्वीकार किया ाएगा। अन्य पक्ष द्वारा भुगतान नहीं स्वीकार किया ाएगा। घरेलू अभिदाताओं / संगठनों से अनुरोध है कि वे अभिदान का भुगतान ऑनलाइन मोड के माध्यम से सीधे ही करें। विदेशी अभिदाताओं के मामले में अभिदान हेतु आवेदन के मोड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। विदेशी अभिदाता आवेदन पत्र हेतु publications@iibf.org.in. पर प्रकाशन विभाग को लिख सकते हैं। घरेलू अभिदाता / संगठन ऑनलाइन मोड में अभिदान के भुगतान के लिए कृपया आईआईबीएफ की वेबसाइट www.iibf.org.in. पर Online Registration / Services पृष्ठ देखें।

सेवा कर की नई दर

वित्त मंत्रालय, रा ास्व विभाग ने 1 ून, 2016 से किसी भी या सभी करयोग्-य सेवाओं पर 0.5% कृषि कल्याण उपकर की वसूली किए ाने की सू ाना दी है। सेवा कर की प्रभावी दर 14% +0.5% (स्व छ भारत उप कर) + 0.5% (कृषि कल्याण उप कर) = 15.00%। तदनुसार संस्थान ने सभी शुल्कों में इस परिवर्तन को शामिल कर लिया है।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुएं

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंकों की विषय-वस्तुएं इसप्रकार निर्धारित की गई हैं :

- ुलाई - सितम्बर, 2016 : दबावग्रस्त खातों का प्रबन्धन और वित्तीय स्थिरता
- अक्तूबर - दिसम्बर, 2016 : डि ाटल बैंकिंग
- ानवरी - मा र्, 2017 : व्यवसाय विश्लेषण
- अप्रैल - ून, 2017 : मूलभूत सुविधा वित्तीयन में ुनौतियां

अपने ग्राहक को ाानिए / धन-शोधन निवारण और ग्राहक सेवा परीक्षा

संस्थान अप्रैल, 2016 के बाद से अपने ग्राहक को ाानिए / धन-शोधन निवारण और ग्राहक सेवा परीक्षा का आयो ान तिमाही आधार पर करेगा। अधिक ाानकारी के लिए www.iibf.orgin देखें।

परीक्षा के लिए दिशानिर्देशों / महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान द्वारा किसी कैलेंडर वर्ष के मई / ून माह के दौरान आयोि ात की ाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में प्रश्नपत्र में समावेश के लिए विनियामक द्वारा ारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों और बैंकिंग एव वित्त के क्षेत्र में केवल पिछले वर्ष के 31 दिसम्बर तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही वि ार किया ाएगा।

संस्थान द्वारा किसी कैलेंडर वर्ष के नवम्बर / दिसम्बर माह के दौरान आयोि ात की ाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में प्रश्नपत्र में समावेश के लिए विनियामक द्वारा ारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों और बैंकिंग एव वित्त के क्षेत्र में केवल पिछले वर्ष के 30 ून तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही वि ार किया ाएगा।

नयी पहलकदमी

वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के ारिये भे ाने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास अपने ई-मेल पते अद्यतन करवा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के ारिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भे ा दें।

---

* भारत के समा ार पत्र पं ीकार (रि ास्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 /1998 के अधीन पं ीकृत

बाज़ार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

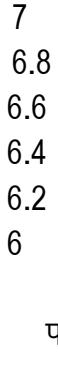

फरवरी, 2016, मा ि, 2016, अप्रैल, 2016, मई, 2016, ून, 2016, ुलाई, 2016

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

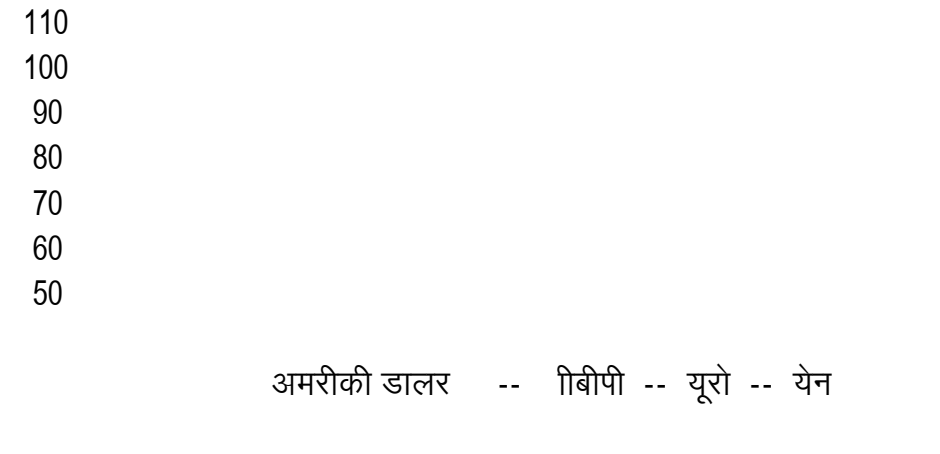

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (**RBI**),

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

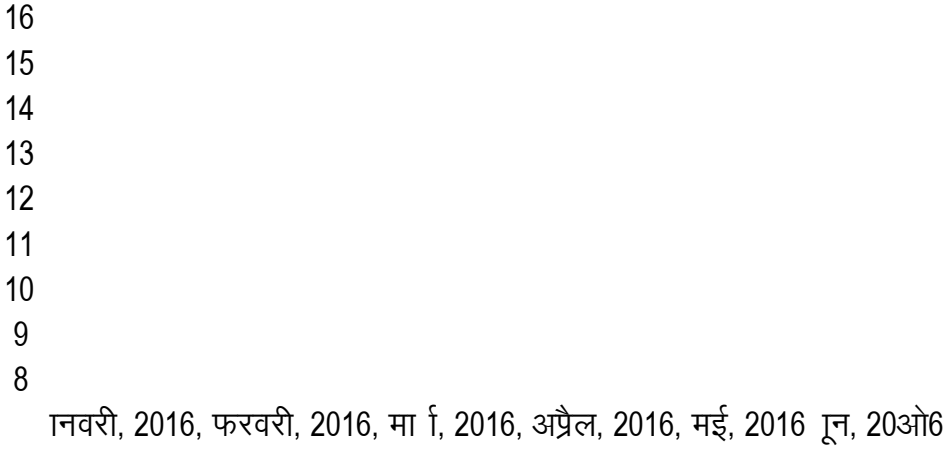

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, मंथली इकॉनॉमिक रिव्यू, ुलाई, 2016

बम्बई शेयर बाज़ार सू ाकांक

29000
28000
27000
26000
25000
24000
23000
22000

फरवरी, 2016, मा र्ा, 2016, अप्रैल, 2016, मई, 2016, ून, 2016, ुलाई, 2016

स्रोत : बम्बई शेयर बाज़ार (BSE)

समग्र ामा वृद्धि %

14
13
12
11
10
9
8

ानवरी, 2016, फरवरी, 2016, मा र्ा, 2016, अप्रैल, 2016, मई, 2016, ून, 2016

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, मंथली इकॉनॉमिक रिव्यू, ुलाई, 2016

डॉ. ो. एन. मिश्र द्वारा मुद्रित, डॉ. ो. एन. मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओ
प्रकाशित तथा ऑनलुकर प्रेस, 16 सासून डॉक, कोलाबा, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट अ
एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II,, टॉवर -1, 2री मं िल, किरोल रोड,कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400
प्रकाशित।
संपादक : डॉ. ो. एन. मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंि ाल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न अगस्त, 2016